(b) the number of people who have benefited by this scheme during the last one year; and

(c) for how long will this scheme continue

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI S. KRISHNA KUMAR): (a) to (c) There was no Scheme sanctioned during 1994-95 whereunder subsidy was available on Tractors or Power tillers; nor is there any such Scheme presently under implementation.

उर्वरकों के मूल्य

4066. **श्री कनक सिंह मोहन सिंह मंगरोला** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न आयातित और स्वदेशी उर्वरकों के वर्तमान मूल्य क्या-क्या हैं और उनको कितनी राजसहायता दी गयी है;

(ख) क्या वर्ष 1991 के उर्वरकों के मूल्यों में भारी वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो पिछले वर्षों की तुलना में यह वृद्धि कितनी है;

(घ) इस मूल्य वृद्धि के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या उर्वरकों के मूल्यों में वृद्धि के कारण उर्वरकों की खपत में कमी आयी है;

(च) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों की तुलना में यह कमी कितनी है; और

(छ) उर्वरकों के मूल्यों को युक्तियुक्त बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या कदम उठाए गए हैं, ताकि उर्वरकों की खपत बढ़ायी जा सके?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) :

(क) वर्तमान में केवल यूरिया का मूल्य सरकार द्वारा वैधानिक रूप से नियंत्रित है। समय-समय पर नियत किए गए नियंत्रित उर्वरकों के मूल्य उत्पादन या आयात की वास्तविक लागत से कम रहे हैं। किसानों को बिक्री हेतु उर्वरकों (जोकि नियंत्रणाधीन हैं) के वर्तमान मूल्य निम्न प्रकार हैं:—

(रुपये प्रति टन)

यूरिया (46% एन)	3320
एनहाड्रस यूरिया	5300
जिर्केटिड यूरिया	4480

नियंत्रित उर्वरक की उत्पादन लागत की तुलना में बिक्री मूल्य में के रूप में कम वसूली के लिए निर्माताओं की क्षतिपूर्ति के लिए, अलग-अलग निर्माता इकाइयों को प्रतिधारण - सह-राजसहायता योजना के अन्तर्गत सब्सिडी दी जा रही है।

आयात किए गए नियंत्रित उर्वरकों (जो कि वर्तमान में केवल यूरिया हैं) के मामले में दी जाने वाली राजसहायता आयात की लागत तथा अधिसूचित बिक्री मूल्य के बीच आने वाले अन्तर के समान राशि है।

नवीनतम अधिसूचित प्रतिधारण मूल्यों के अनुसार, यूरिया का प्रति टन भारित औसत प्रतिधारण मूल्य 5088 रुपये प्रति टन बैठता है। इसी प्रकार, सरकार द्वारा आयातित उर्वरकों पर वहन की गई राजसहायता आयात के लिए अनुबंधित मूल्यों के आधार पर समय-समय पर भिन्न-भिन्न होती है। नवीनतम अनुबंध के अनुसार यूरिया के आयात का अनुबंध

245 अमरीकी डालर प्रति टन एफ० ओ०वी० पर किया गया है।

(ख) से (घ) वर्ष 1986 से प्रचलित यूरिया के मूल्य को जुलाई, 1991 में 2350 रुपये से बढ़ाकर 3300 रुपये प्रतिटन किया गया। अगस्त, 1991 में इसे घटा कर 3060 रुपये प्रति टन कर दिया गया। 1994 में मूल्य में वृद्धि 1991 में प्रचलित मूल्य पर केवल प्रतिशत तक है।

फास्फेटिक तथा पोटेशिक उर्वरकों के मूल्यों में उनके विनियंत्रण के कारण उर्वरक लागत सम्बन्धी संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिश पर अगस्त, 1992 में वृद्धि की गई।

(ङ) से (छ) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में उर्वरक पोषकों की खपत नीचे दी गई है:—

पोषक	1991–92	1992–93	1993–94	1994–95 (संभावित)
एन	80.46	84.27	87.89	98.00
पी	33.21	28.44	26.69	33.26
के	13.61	8.84	9.08	12.61
योग	127.28	121.55	133.66	143.87

देश में फास्फेटिक तथा पोटेशिक उर्वरकों की खपत में वृद्धि करने के लिए भारत सरकार एम०पी०ओ०, स्वदेशी डी०ए०पी० पर 1000 रुपये प्रति टन, स्वदेशी मिश्रणों पर अनुपातिक प्रति टन रियायत और स्वदेशी सिंगल सुपर फास्फेट (एस०एस०पी०) पर 340 रुपये प्रति टन की छूट दे रही है।

राष्ट्रीय बीज निगम को हुये घाटे

4067. **श्री एस०एस० [illegible] वाला** :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय बीज निगम को लगातार घाटा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान औसतन कितनी धनराशि का घाटा हुआ है;

(ग) इस घाटे के क्या कारण हैं; और

(घ) इन घाटों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या उपाय किये गये हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) 1991–92 से 1993–94 की अवधि के दौरान, राष्ट्रीय बीज निगम को प्रति वर्ष 5.91 करोड़ रु० की औसत हानि हुई।

(ग) हानि के मुख्य कारण इस प्रकार हैं :—

(i) बीज के बिक्री मूल्य में संगत वृद्धि के बिना आदानों के मूल्यों और बीज उत्पादकों को भुगतान किए जाने वाले अधिप्राप्ति मूल्यों में वृद्धि;